न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 14/2017

अनवान :–

श्री हंसराज साध, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर
प्रार्थी

–: बनाम :–

1 श्री वासुदेव पुत्र श्री लेखूमल खत्री– मैसर्स बीकानेर ऐग्स सेंटर, निवासी डागा बिल्डिंग के.ई.एम. रोड़, बीकानेर प्रोपराईटर मालिक फर्म
2 श्री दीपक कुमार पुत्र श्री वासुदेव खत्री– मैसर्स बीकानेर ऐग्स सेंटर, निवासी डागा बिल्डिंग के. ई.एम. रोड़, बीकानेर प्रोपराईटर विक्रेता फर्म
3 श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री भंवरलाल खत्री निवासी हिन्द स्टोर एजेन्सीज के.ई.एम. रोड़ एवं मैसर्स रोहित ट्रेडर्स के.ई.एम. रोड़ बीकानेर सप्लायर्स
4 श्री किशनगोपाल खण्डेलवाल नोमिनी फर्म जरिये मैसर्स हमदर्द लेबोरेट्रीज (इण्डिया), विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र वीकेआईए एफ 37 ए रोड़ नं. 2 जयपुर (राजस्थान)
5 श्री अरशद नईम नाजरी(नोमिनी निर्माता फर्म)
मैसर्स हमदर्द लेबोरेट्रीज इण्डिया, प्लाट नं. 12–15, सेक्टर नं. 7,1 एमटी, मानेसर, गुडगांव (हरियाणा)– 122050

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ग) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष की ओर से – श्री महमूद अली खादय सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी सं. 1 ता 4 – अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 5 स्वयं – श्री अरशद नईम नाजरी

–: निर्णय :– दिनांक 26.02.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री हंसराज साध, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने दिनांक 12.05.2016 को अप्रार्थीपक्ष श्री वासुदेव पुत्र श्री लेखूमल खत्री मालिक फर्म – मैसर्स बीकानेर ऐग्स सेंटर, निवासी डागा बिल्डिंग केईएम रोड़ बीकानेर के यहां निरीक्षण के दौरान दुकान में रखी 10 (नग) बोतल प्रत्येक 750 मिलीलीटर शरबत(रूहअफजा) आम जनता को विक्रय वास्ते रखा हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त शरबत(रूहअफजा) में से 4 बोतल शरबत(रूहअफजा) नमूना संग्रह हेतु क्रय कर विक्रेता द्वारा बताये अनुसार मूल्य 500/– रूपये में नकद भुगतान कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता एवं गवाहान एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। तदन्तर उक्त नमूना जांच शर्बत(रूह अफजा) को कागज में पैक्ड पर लैबल फम्र तैयार कर उस पर विक्रेता गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये चारों पर एक–एक लैबल फार्म गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक पैक्ड नमूना पर मोटा मजबूत खाकी कागज लपैट कर गौंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना पर डीओ/सीएमएचओ द्वारा जारी हस्ताक्षरित पेपर स्लिप जे– 1160 को टोप दी बोटम प्रक्रिया द्वारा गोंद से चिपकाकर चारों पैकेड नमूना को नियमानुसार ब्रास शील्ड द्वारा चारों तरफ सील द्वारा चपड़ी का प्रयोग करते हुवे शील्ड पैक किया तथा प्रत्येक नमूना को पेपर स्लिप क्रॉस करते हुवे विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवायें एवं स्वयं प्रार्थी ने किये। उक्त कार्यवाही पश्चात मौके पर फर्द मुआयना रिपोर्ट तैयार की जिसे पढ़कर पढ़ाकर समझा कर तीनों

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं प्रार्थी ने किये। उक्त सीलबन्द नमूनों में से एक सीलबन्द नमूना मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS./1700/Act/ 2016/2690 दिनांक 22.07.2016 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें शरबत(रूहअफजा) मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा शरबत(रूहअफजा) मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता को वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद इनकी ओर से वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 स्वयं उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत किया।

3. अप्रार्थी संख्या 3 का जवाब है कि उक्त माल मैसर्स हमदर्द लेबोरेट्रीज जयपुर द्वारा मंगाया गया है। अप्रार्थी द्वारा समस्त माल सील बन्द कॉटून में ही सप्लाई दिया जाता है। उक्त माल के निर्माता अप्रार्थी संख्या 5 मैसर्स हमदर्द लेबोरेट्रीज मानेसर है। इसलिए जवाबदारी निर्माता फर्म पर निर्धारित करने के आदेश प्रदान करें। अप्रार्थी संख्या 4 का जवाब है कि उक्त माले मैसर्स हमदर्द लेबोरेट्रीज मानेसर अप्रार्थी संख्या 5 से मंगवाया गया था। सामान सील पैक कार्टन में ही सप्लाई किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा दिया हुआ जवाब ही अप्रार्थी का जवाब माना जावे।

4. अप्रार्थी संख्या 5 ने जवाब पेश कर कथन किया कि वह हमदर्द लेबोरेट्री गुड़गांव में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत है और इस नोटिस का जवाब देने के लिए अधिकृत है। हमारी फर्म रूहहफजा शर्बत तैयार करती है। जिस लेबल पर शर्बत में सम्मिलित तत्वों को दिखाया गया है। ऐसे तत्व शब्द चित्र या ग्राफिक के रूप में हो सकती है। हमारे द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट 22.7.2016 को प्राप्त हुई है व 60 दिन बाद जांच हुई है जबकि नियमानुसार 14 दिन में रिपोर्ट प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही समाप्त करने का निवेदन किया है।

तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5. प्रार्थी की ओर से श्री महमूद अली, सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में तत्का. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से शरबत(रूहअफजा) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Sharbat(Rooh Afza) bearing Code No. and Sr. No. J-1160 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravention of Regulation 2.2.2(2) (f)(i)of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां शरबत(रूहअफजा) मिसब्राण्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

6. अप्रार्थी संख्या 5 ने जवाब में प्रस्तुत कथनों को दौहराते हुए प्रकरण को समाप्त करने का निवेदन किया जबकि आपत्ति/जवाब का खण्डन करते हुवे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अभिकथन किया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से शरबत(रूहअफजा) का सैम्पल विधिक प्रक्रियान्तर्गत विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष लिया गया तथा सील्ड पैक कर उक्त एक नमूना भाग की प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट में शरबत(रूहअफजा) मिसब्राण्ड पाया गया। अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर के पत्रांक 8390–91 दिनांक 10.8.16 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(4) के तहत विक्रेता को रजिस्टर्ड एडी द्वारा पुनः जांच हेतु भिजवाया गया लेकिन विक्रेता द्वारा पुनः जांच की अपील नहीं की गई। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति/जवाब को खारिज करते हुए मिसब्राण्ड शरबत(रूहअफजा) विक्रय/वितरण एवं विनिर्माण करने के लिए एफएसएसए के प्रावधानों के अनुसार इनके विरूद्ध सख्त जुर्माने की कार्यवाही की जावे।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाई गई शरबत(रूहअफजा) की सैम्पलिंग रिर्पोट में शरबत(रूहअफजा) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) पाया गया है। मिथ्या छाप के प्रकरण के सेंम्पल व सेम्पल की रिपोर्ट के स्थान पर पैंकेजिक एण्ड लेबलिंग रेगूलेशन 2011 के प्रावधान के विपरीत अप्रार्थी द्वारा शरबत की बोतल पर लगाये गये लेबल पर अंकित चित्रों से उत्पन्न होने वाले भ्रम की स्थिति के लिए मिथ्या छाप होना साबित होता है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक L.S./1700/Act/2016/2690 दिनांक 22.07.2016 की रिर्पोट संलग्न है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Sharbat(Rooh Afza) bearing Code No. and Sr. No. J-1160 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravention of Regulation 2.2.2(2)(f)(i)of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है । जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां शरबत(रूहअफजा) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है।

8. इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के द्वारा शरबत(रूहअफजा)(मिथ्या छाप वाली) उत्पादन/वितरण/विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (ii) का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) के अपराध की श्रेणी में आता है जो शास्ति अधिरोपित का दायी है।

9. अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले शरबत(रूहअफजा) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण के लिये दोषी होने के परिणामस्परूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत रूपये **25,000/– (अखरे रूपये पच्चीस हजार मात्र)** की शास्ति आरोपित की जाती है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

10. अप्रार्थीगण 1 ता 5 द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली शरबत (रूहअफजा) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) विनिर्माण,वितरण एवं विक्रय किया जिसके लिये वे समान रूप से धारा 26 (2)(ii) में दोषी है। आरोपित शास्ति रूपये 25000/– अखरे पच्चीस हजार रूपये के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को समान रूप से दायी घोषित किया जाता है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 समान रूप से आरोपित राशि रूपये. 25,000/– का 1/5 शास्ति राशि यानि 5,000/–, 5,000/– रूपये प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 शास्ति राशि अदा करेगें।

11. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 26.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को जरिये रजिस्टर्ड पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा),बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner